

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आपराधिक प्रक.क्र. :- 753/2008)
(संस्थित दिनांक :- 06/09/2008)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. ब्रजभान उर्फ घोड़ा पुत्र रामचरन गुर्जर, उम्र 30 वर्ष।
 निवासी :- ग्राम लक्ष्मणगढ़, थाना-महाराजपुरा, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)।
 अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 04/01/2018 को घोषित)

01. अभियुक्त ब्रजभान उर्फ घोड़ा पर धारा 457, 380 एवं 336 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 25/07/2008 को रात्रि लगभग 02:30 बजे फरियादी विजय कुमार माहौर का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 11 मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया, फरियादी के आधिपत्य के सोने-चौदी के जेवरात एवं मोबाइल कुल कीमत 24,500/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं आपने उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से पत्थर मारकर फरियादी एवं उसके परिवारीजनों का मानव जीवन संकटापन्न किया।

02. प्रकरण में आरोपीगण गुड्डेश, जोगिन्दर सिंह एवं जीते उर्फ जितेन्द्र सिंह पूर्व से फरार है, जिनके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट दिनांक : 17/11/2015 को जावक क्रमांक 559 पर जारी किये गये हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 25/07/08 को रात्रि लगभग 02:30 बजे फरियादी विजय कुमार माहौर का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 11 मालनपुर से आरोपीगण द्वारा सोने-चौदी के जेवरात, कपड़े एवं एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल कुल कीमत लगभग 24,500 रुपये चोरी कर लिये जाने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी विजय माहौर द्वारा उसी दिनांक को रात्रि लगभग 03:10 बजे थाना मालनपुर में आरोपीगण ब्रजभान उर्फ घोड़ा, गुड्डेश, जोगिन्दर सिंह एवं जीते उर्फ जितेन्द्र के विरुद्ध नामजद लेखबद्ध कराये जाने पर, आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 73/2008 अन्तर्गत धारा 457, 380 एवं 336

भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक :- 25/07/2008 को आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया गया और उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा से चोरी गई सोने की अंगूठी, एक मंगलसूत्र एवं नोकिया मोबाइल जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। घटनास्थल से दो टूटे हुये ताले, एक लोहे का बसूला एवं एक लोहे का बक्सा जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वस्तुओं की पहचान कार्यवाही कराई गई। विवेचना के दौरान फरियादी विजय माहौर, साक्षीगण ओमवती, रामसहाय, आशाराम, संतोष, रामचरण, नरेन्द्र एवं राजेश के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त ब्रजभान उर्फ घोड़ा के विरुद्ध धारा 457, 380 एवं 336 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा ने दिनांक :- 25/07/2008 को रात्रि लगभग 02:30 बजे फरियादी विजय कुमार माहौर का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 11 मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी के आधिपत्य के सोने-चौंदी के जेवरात एवं मोबाइल कुल कीमत 24,500/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से पत्थर मारकर फरियादी एवं उसके परिवारीजनों का मानव जीवन संकटापन्न किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी विजयराम अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 25/07/2008 की है। वह अपने आंगन में घर में सो रहा था। रात को दो-ढाई बजे के लगभग 04 लोग उसके मकान में आ गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके मकान का अन्दर से ताला लगा हुआ था, जिसे आरोपीगण ने तोड़ दिया था। उसके घर में आरोपीगण जोगेन्द्र, ब्रजभान, गुड्डेश एवं जीतू घुसे थे, जो चोरी करने के लिए उसके घर में घुसे थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने उसके घर में चोरी की थी और मंगलसूत्र सोने का, दो अंगूठी, करधोनी, पायले एवं तोड़िया थी एवं बिछिया का गुच्छा था और 7000/- रुपये भी थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी ब्रजभान कमरे के अन्दर से वसूला लेकर निकला तो उसकी पत्नी ने देख लिया था और वह चिल्लाई तो वह लोग जाग गये और वह वसूला फेंककर भागा, तब उसके चचेरे भाई आशाराम एवं रामसहाय ने पकड़ लिया था और तीनों आरोपीगण भाग गये थे। फिर आरोपीगण ने उसके साथी को छुड़ाने के लिए पत्थर फेंका था, जो आशाराम बाये पैर के घुटने में लगा, लेकिन उस लड़के को अर्थात् आरोपी ब्रजभान को नहीं छोड़ा था, तब शेष तीनों आरोपीगण ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए कट्टे से फायर किया, कट्टे की आवाज सुनकर नरेन्द्र शर्मा ने उसकी लाईसेंसी बन्दूक से फायर किया, तब आरोपीगण भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि पकड़े गये लड़के से पूछने पर उसने अपना नाम ब्रजभान बताया था और बाकी आरोपीगण के नाम भी बताये थे और इन्होंने मोबाइल चोरी करना भी बताया था। फिर उसने थाने पर जाकर घटना के संबंध में रिपोर्ट प्र.पी.02 लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घर पर आकर मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था और उससे पूछताछ की थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी विजय अ.सा.02 ने पुनः यह दर्शित किया है कि घटना दिनांक : 25/07/2008 की है। साक्षी आगे कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसे पड़ोसी ने आरोपीगण के नाम बताये हो। साक्षी ने स्वतः कहा है कि जिसे पकड़ा था, अर्थात् आरोपी ब्रजभान ने घर पर एवं थाने पर आरोपीगण के नाम बताये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में फरियादी विजय अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि घटना वाले दिनांक अर्थात् 25/07/2008 की रात्रि में वह ढाई बजे जगा था और जगने के बाद उसने सबसे पहले छत पर चढ़कर आरोपीगण का पीछा किया और आरोपी को पहचान लिया और उसे पकड़कर बांध लिया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी विजय अ.सा.02 ने स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि घटना के

समय रात्रि ढाई बजे अंधेरा नहीं था, लाईट जल रही थी और मौहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 एवं 09 में फरियादी विजय अ.सा.02 ने सारतः यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी ब्रजभान को मौके पर ही पकड़कर बांध लिया था और उससे चोरी गया एक झुमकी और मंगलसूत्र वापस ले लिया था, जो थाने पर ले जाकर पुलिस को दे दिया था और तत्पश्चात् कोर्ट से प्राप्त किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में फरियादी विजय अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ब्रजभान ने उसके घर पर कोई चोरी नहीं की। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने ब्रजभान की मारपीट की थी और उस मारपीट से बचने के लिए चोरी का झूठा प्रकरण उसके विरुद्ध पंजीबद्ध कराया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 12 में फरियादी विजय अ.सा.02 का कहना है कि आरोपी ब्रजभान को सर्वप्रथम उसके भाई रामसहाय एवं आशाराम ने पकड़ा था, जो कि उसके बगल के मकान में रहते हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने भी आरोपी ब्रजभान को मकान में आते हुये देख लिया था। साक्षी ने पुनः यह दोहराया है कि घटना रात्रि लगभग दो-ढाई बजे की है। इस प्रकार फरियादी विजय अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों से भी हो रही है। फरियादी विजय अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा द्वारा उसके साथियों के साथ मिलकर आरोपित घटना कारित करने में फरियादी विजय के मकान में चोरी करने के आशय से गृह भेदन करने एवं चोरी करने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है।

10. साक्षी ओमवती अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/04/2010 से लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी की रात्रि ढाई बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि वह अपने पति तथा छोटी लड़की के साथ आंगन में सो रही थी, उसकी नींद खुली तब उसने देखा ब्रजभान के हाथ में वसूला था, जो उसके कमरे में से निकल रहा था। वह देखकर चिल्लाई तो उसके घर वाले एवं पड़ोस वाले जाग गये थे, तब वह वसूला फेंककर भागा, तब उसके पास वाले आशाराम एवं रामसहाय ने पकड़ लिया था। साक्षी आगे कहता है कि चोरी करने वाले कुल 04 लोग थे, बाकी 03 लोग भाग गये थे, उन्होंने कट्टा चलाया था, तो उसके पड़ोस वाले नरेन्द्र ने बन्दूक से फायर किया था और भागने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया था। साक्षी आगे कहती है कि जिसे पकड़ा था, उसने पत्थर मारा था, जो आशाराम के पैर में लगा था, परन्तु उसे नहीं छोड़ा था। जिसे पकड़ा गया था, उससे पूछताछ की थी तब उसने स्वयं का नाम ब्रजभान बताया था, शेष लोग जो भाग गये थे, उनका नाम जोगेन्द्र, जीतेन्द्र थे। फिर पुलिस आई थी और पकड़ कर ले गई थी। साक्षी आगे कहती है कि उसका बेसर, मंगलसूत्र, बारी, लोंग, पायले दो जोड़ी, दो जोड़ी करधोनी, दो अंगूठी मर्दानी, दो चाँदी के सिक्के, चूड़ा, दो जोड़ी तोड़िया, बैंक के कागज एवं 8000/- रुपये नगद सामान चोरी गया था। साक्षी आगे कहती है कि उसने उन लोगों से सामान छुड़ा लिया था, जो थोड़ा छुड़ाया था, वह सामान

पुलिस ने जमा करा लिया था।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में ओमवती अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह घटना इसलिए याद है कि इतनी बड़ी घटना उसके साथ पहली बार हुई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में ओमवती अ.सा.03 का यह कहना है कि ब्रजभान एवं घोड़ा एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में ओमवती अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी ब्रजभान उसके देवर आशाराम ने पकड़ा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में ओमवती अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ब्रजभान को उसने, उसके पति एवं उसके परिवार ने जबरन पकड़कर उससे झूठे नाम कहलवाये है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में ओमवती अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने झूठी कायमी कराने के लिए घर से सामान ले जाकर थाने पर टी.आई.साहब को दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने रंजिश के कारण यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन आरोपी की ओर से कहीं पर भी यह दर्शित अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपी एवं फरियादीगण के मध्य किस प्रकार की रंजिश थी और उक्त रंजिश कब से थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में ओमवती अ.सा.03 ने सारतः यह दर्शित किया है कि थाने पर रात्रि 03:00 बजे उसके पति विजय द्वारा उसके साथ जाकर रिपोर्ट लिखाई गई थी और आरोपी ब्रजभान ने अन्य आरोपीगण के नाम बताये थे। इस प्रकार ओमवती अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा द्वारा उसके साथियों के साथ मिलकर आरोपित घटना कारित करने में फरियादी विजय अर्थात् साक्षी के पति के मकान में चोरी करने के आशय से गृह भेदन करने एवं चोरी करने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। ओमवती अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी विजय अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

12. साक्षी आशाराम अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह मालनपुर में दुकानदारी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 21/05/2010 से लगभग दो-तीन साल से कर रहा है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी ब्रजभान से एक अंगूठी सोने की, एक मंगलसूत्र एवं एक मोबाइल जब्त किया था, जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं घटनास्थल से दो ताले टूटे हुये, एक वसूला लोहे का एवं एक बक्सा लोहे का जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आशाराम अ.सा.04 का कहना है कि आरोपी ब्रजभान को रात्रि में दो-ढाई बजे सबसे पहले उसने देखा एवं पकड़ा था, उस समय वह चार लोग थे, जिनमें से तीन लोग भाग गये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आशाराम अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि चोरी विजय

कुमार की हुई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आशाराम अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके सामने थाने पर किसी सामान की जब्ती नहीं हुई। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में आशाराम अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.04 उसके सामने लेखबद्ध नहीं किया गया। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.04 उसके सामने ही लिखा गया था और उसने उस जब्ती पत्रक को पढ़कर ही हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ब्रजभान से कोई जब्ती नहीं हुई थी और स्वतः कहा है कि जब्ती हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह फरियादी के परिवार का होना के कारण झूठी गवाही दे रहा है। इस प्रकार आशाराम अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा द्वारा उसके साथियों के साथ मिलकर आरोपित घटना कारित करने में फरियादी विजय के मकान में चोरी करने के आशय से गृह भेदन करने, चोरी करने एवं उसके सामने आरोपी ब्रजभान से चुराई गई वस्तुएं जब्त होने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। आशाराम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि जब्ती पत्रक प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। आशाराम अ.सा.04 की उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी विजय अ.सा. 02 एवं साक्षी ओमवती अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

14. साक्षी रामसहाय अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि पुलिस ने उसके सामने प्र.पी.06 की लिखा-पढ़ी की थी, किन्तु उसे यह नहीं बताया था कि प्र.पी.06 के चोरी का सामान उसने उसके घर में रख दिया है चलो बता रहा हूँ। इसी प्रकार आरोपी ब्रजभान ने प्र.पी.07 की लिखा-पढ़ी की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु आरोपी ब्रजभान ने चोरी के सामान के संबंध में कुछ नहीं बताया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी रामसहाय अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी जितेन्द्र ने पुलिस को यह बताया था कि सामान जमीन पर गाड़ कर रखा है, जो उसके घर पर रखा है एवं आरोपी ब्रजभान ने भी यह बताया था कि एक मंगलसूत्र सोने का और अन्य सामान साथियों के साथ उसने चुराया था एवं बाला बरामद कराये देता हूँ। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र से एक सोने की नाक की बारी और एक सोने की लॉग जब्त की थी, जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका मकान विजय के मकान के बगल में है एवं विजय कुमार के चिल्लाने पर वह पहुँच गया था, वह लड़का चौखाने की शर्ट पहने था, वह विजय के घर की तरफ से भाग रहा था और उसने एवं आशाराम ने घेरकर पकड़ लिया। साक्षी आगे कहता है कि उसी समय उसके साथी ने उसे पत्थर मारा, जो आशाराम के पैर में लगा, जब आशाराम ने उसे अर्थात् आरोपी ब्रजभान को नहीं छोड़ा तो तीन

साथियों कटूटे से हवाई फायर किया। फिर नरेन्द्र ने बन्दूक से हवाई फायर किये थे, जो आत्म रक्षार्थ किये थे, चोर भाग गये थे। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जो लड़का पकड़ लिया था, उसने अपना नाम ब्रजभान गुर्जर बताया था और उसी आरोपी ने अपने अन्य साथी आरोपी जोगेन्द्र, जीतू, निवासी लक्ष्मनगढ़ तथा गुड्डेश निवासी : राजस्थान बताया था, मौके पर रामचरन एवं राजेश भी आ गये थे, तब उन्होंने बताया कि घर से नोकिया मोबाइल, दूसरे घर से कपड़े, चार्जर तथा मंगलसूत्र, एक अंगूठी एक जोड़ी झुमकी, नाक की बारी, लॉग सोने की, चाँदी की करधोनी, पायजेब आदि सामान चोरी करना बताया था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त आरोपीगण ने रात में ताला तोड़कर चोरी की थी। फिर थाने पर जाकर विजय कुमार ने रिपोर्ट की थी। पुलिस ने लिखा-पढ़ी की थी एवं उसका बयान लिया था।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में रामसहाय अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि पुलिस ने उससे पूछा था कि क्या तुमने चोर को पकड़ा था, तब उसने हां कहा था और इस बात के हस्ताक्षर किये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में रामसहाय अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह फरियादी के परिवार का होने के कारण असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार घटना की रात्रि में घटना के पश्चात् रामसहाय अ.सा.05 एवं आशाराम अ.सा.04 द्वारा आरोपी ब्रजभान को घटनास्थल के पास ही पकड़ लेने के संबंध में रामसहाय अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी विजय अ.सा.02, साक्षी ओमवती अ.सा.03 एवं आशाराम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

16. अभियोजन साक्षी संतोष अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 24/12/2010 से लगभग 03 साल पहले की है। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी ब्रजमोहन से पूछताछ की थी, ब्रजमोहन ने बताया था कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की है और सामान उसके पास होना बताया था, जिसके संबंध में प्र.पी.07 बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि वह लोग रात्रि में सो रहे थे, रात्रि में आरोपीगण दूसरे घर से चढ़ आये थे, उसके भाई की बहू ओमवती जाग गई थी, वह चिल्लाई, तब वह तथा अन्य मौहल्ले वाले आ गये थे। तब चोरों को आशाराम एवं एक अन्य व्यक्ति ने घेरकर पकड़ा था, आरोपी के दो साथियों ने भागकर फायरिंग की थी, जो कटूटे से की थी। साक्षी आगे कहता है कि मौके पर ब्रजभान को पकड़ लिया था, बाकी भाग गये थे। ब्रजमोहन ने बताया था कि गुड्डेश और जितेन्द्र उसके साथ थे और उसने जो सामान चोरी हुआ था, उसके बारे में भी बताया था। फिर वह लोग आरोपी को थाने ले गये थे। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने जितेन्द्र एवं गुड्डेश से पूछताछ की थी, जिसमें चोरी गया सामान उसके कब्जा में होना बताया था, जिसका मैमोरेंडम प्र.पी.06 है, जिसके ए

से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल से दो टूटे हुये ताले एवं बक्से आदि जब्त किये थे, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी ब्रजभान से कान के बाले, मंगलसूत्र एवं कान की फूल आदि सामान जब्त हुआ था, जिसका जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी जितेन्द्र से उसके सामने कुछ भी जब्त नहीं हुआ था, जब्ती पत्रक प्र.पी.08 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फरियादी विजय अ.सा.02 के घर की गई चोरी के तत्काल पश्चात् आरोपी ब्रजभान के आशाराम अ.सा.04 द्वारा पकड़ लिये जाने एवं शेष आरोपीगण के भाग जाने के तथ्य के संबंध में साक्षी संतोष अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। संतोष अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि विजय अ.सा.02, ओमवती अ.सा.03, आशाराम अ.सा.04 एवं रामसहाय अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी हो रही है।

17. अभियोजन साक्षी नरेन्द्र शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/03/2010 से लगभग दो वर्ष पहले की रात्रि डेढ़-दो बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने मकान के उपर सो रहा था। रात को हो-हल्ला हो रहा था, उसकी नींद खुल गई। चोरों ने मौके पर बन्दूक चलाई थी। फिर वह अपना हथियार लेकर आया तथा हथियार चलाया। एक आदमी उल्टे रास्ते के तरफ भाग गया, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। साक्षी आगे कहता है कि वह आरोपीगण को पहचान नहीं पाया था, कि कौन-कौन लोग थे। क्या चोरी हुआ था, उसे यह भी नहीं पता पड़ा था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी को उसका पुलिस कथन का ए से ए भाग ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी नरेन्द्र ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नरेन्द्र अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसका घर चोरी किये जाने वाले घर के पास ही है और ऐसा नहीं हुआ कि कोई चोरी नहीं हुई। इस प्रकार फरियादी विजय अ.सा.02 के घर आरोपित चोरी होने एवं भागते हुये चोरों द्वारा गोली चलाये जाने पर, उनके उपर साक्षी नरेन्द्र अ.सा.01 द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में नरेन्द्र अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि फरियादी विजय अ.सा.02, ओमवती अ.सा.03, आशाराम अ.सा.04 एवं रामसहाय अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी हो रही है।

19. अभियोजन साक्षी धर्म सिंह अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/07/2008 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के

अपराध क्रमांक 73/2008 अन्तर्गत धारा 457, 380 एवं 336 भा.द.सं. के केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी विजय के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर विजय के हस्ताक्षर कराये थे एवं बी से बी भाग पर स्वयं हस्ताक्षर किये थे। उक्त दिनांक को ही 03:15 बजे आरोपी ब्रजभान को साक्षी आशाराम एवं संतोष के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 15 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी ब्रजभान से पूछताछ कर उसका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मैमोरेंडम प्र.पी.07 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त मैमोरेंडम में आरोपी ब्रजभान ने यह बताया था कि आज रात लगभग 02:30 बजे उसने एवं उसके साथी जोगेन्द्र, जीतेश एवं गुड्डेश ने कस्बा मालनपुर में तीन-चार लोगों के घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी की, जिसमें एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल, पहनने के कपड़े, नगदी, सोने के जेवर, एक मंगलसूत्र, एक अंगूठी, झुमकी, बेसर वाली, लोंग, चॉदी के जेवर, दो करधोनी, पायजेब, तोड़िया, किसान विकास पत्र चोरी किये थे, जिनमें से लाल धागा बंधा हुआ सोने का मंगलसूत्र, नोकिया मोबाइल उसने चुराया था, चलों चलकर बरामद करा देता हूँ। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मैमोरेंडम में दर्शित तथ्यों के अनुसार उसने आरोपी ब्रजभान के आधिपत्य से उसके द्वारा थाना मालनपुर में पेश करने पर एक सोने की अंगूठी जिस पर "श्री" लिखा हुआ था, एक मंगलसूत्र और एक नोकिया मोबाइल दिनांक : 25/07/2008 को ही जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक : 25/07/2008 को उसने संतोष एवं आशाराम के समक्ष घटनास्थल से दो टूटे हुये ताले, एक वसूला लोहे का बांस का डण्डा हुआ, एक कपड़े रखने का लोहे का बक्सा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सामान जब्ती पश्चात् फरियादी का होने से उसे सुपुर्द किया गया था। तत्पश्चात् विवेचना के दौरान उसने दिनांक : 27/07/2008 को फरियादी विजय कुमार, साक्षीगण नरेन्द्र शर्मा, ओमवती, रामसहाय, आशाराम, संतोष, रामचरन एवं राजेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 01/09/2008 को एसआई सुरेश शर्मा ने उसके एवं राजवीर के सामने आरोपी गुड्डेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् केस डायरी शेष विवेचना हेतु एसआई सुरेश शर्मा को सौंप दी थी।

20. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में धर्म सिंह अ.सा.09 ने यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी ब्रजभान को थाना मालनपुर पर पब्लिक द्वारा पकड़कर प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था। उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब पब्लिक आरोपी ब्रजभान को पकड़कर थाने लाई थी, तब उसके पास चोरी का कोई सामान मौजूद नहीं था। आरोपी अधिवक्ता द्वारा दिये गये इस सुझाव से यह दर्शित होता है कि वह इस तथ्य का स्वीकार करते हैं कि

आरोपी ब्रजभान को दिनांक : 25/07/2008 को रात्रि के समय पब्लिक द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया था। साक्षी आगे कहता है कि फरियादी विजय अ.सा.02 एवं उसके साथी आरोपी ब्रजभान को पकड़कर लेकर आये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में धर्म सिंह अ.सा.09 ने यह दर्शित किया है कि फरियादी विजय अ.सा.02 आरोपी ब्रजभान को रात्रि में एफआईआर लिखाने के समय थाने पर साथ लेकर आया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में धर्म सिंह अ.सा.09 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि दिनांक : 25/07/2008 को फरियादी विजय के साथ कौन-कौन व्यक्ति थाने आये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में धर्म सिंह अ.सा.09 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के संबंध में आरोपी ब्रजभान के विरुद्ध उसे फरियादी या किसी अन्य साक्षी ने उनके कथनों में कोई तथ्य नहीं बताये थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी ब्रजभान से चोरी का कोई माल बरामद नहीं हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने फरियादी विजय से मिलकर विजय से रात्रि में पूरा सामान मंगाकर असत्य रूप से आरोपी से उक्त सामान की जब्ती दर्शित कर आरोपी ब्रजभान के विरुद्ध असत्य विवेचना की है। इस प्रकार उसके द्वारा की गई विवेचना के संबंध में धर्म सिंह अ.सा.09 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। तर्क के दौरान आरोपी अधिवक्ता श्री आर.पी.एस.गुर्जर द्वारा यह व्यक्त किया गया कि “सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य से आरोपी ब्रजभान से चोरी गई वस्तुओं बरामद होने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियाँ ना जुड़ने के कारण वह दोषमुक्ति का अधिकारी है”। इस वावत् यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण मात्र जब्ती पर आधारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य संबंधी प्रकरण ना होकर फरियादी विजय अ.सा.02, ओमवती अ.सा.03, आशाराम 04 एवं रामसहाय अ.सा.05 के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित प्रकरण है, जिस कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य में प्रकट कुछ छोटे विरोधाभासों का कोई लाभ आरोपी को प्रदान नहीं किया जा सकता।

21. जहाँ तक आरोपी ब्रजभान पर धारा 336 भा.द.सं. के आरोप के प्रमाणित होने का प्रश्न है, इस वावत् फरियादी विजय अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी ब्रजभान द्वारा पत्थर फेंककर या कटुते से फायर कर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य दर्शित नहीं किया है। जबकि विजय अ.सा.02 के विपरीत उसकी पत्नी ओमवती अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि जिसे पकड़ा था, अर्थात् आरोपी ब्रजभान ने पत्थर मारा था, जो पकड़ने वाले आशाराम अ.सा.04 के पैर में लगा था। परन्तु आशाराम अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि आरोपी ब्रजभान ने पकड़े जाने पर उसे पत्थर मारा था। इसी प्रकार साक्षी रामसहाय अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उसके एवं आशाराम द्वारा आरोपी ब्रजभान के पकड़े जाने पर उसके साथियों ने मारा, जो आशाराम के पैर में लगा और जब उन लोगों ने ब्रजभान को

नहीं छोड़ा तो उसके साथियों ने कट्टे से हवाई फायर किया। इस प्रकार रामसहाय अ.सा.05 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी ब्रजभान द्वारा पत्थर फेंककर या कट्टे से हवाई फायर कर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार इस वावत् अभियोजन साक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है कि आरोपी ब्रजभान द्वारा पत्थर फेंककर या कट्टे से हवाई फायर कर मानव जीवन संकटापन्न किया गया, अथवा नहीं।

22. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा ने दिनांक :- 25/07/2008 को रात्रि लगभग 02:30 बजे फरियादी विजय कुमार माहौर का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 11 मालनपुर में, उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से पत्थर मारकर फरियादी एवं उसके परिवारीजनों का मानव जीवन संकटापन्न किया।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा ने दिनांक :- 25/07/2008 को रात्रि लगभग 02:30 बजे फरियादी विजय कुमार माहौर का मकान स्थित वार्ड क्रमांक 11 मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया, फरियादी के आधिपत्य के सोने-चाँदी के जेवरात एवं मोबाइल कुल कीमत 24,500/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा के विरुद्ध धारा 336 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा को धारा 336 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। परन्तु अभियोजन आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा को धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

25. आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से रात्रि के दौरान समूह बनाकर नागरिकों के घर में प्रवेश कर चोरी करने की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपी ब्रजभान उर्फ़ घोड़ा को परिवीक्षा का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

26. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

27. आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री आर.पी.एस.गुर्जर का कहना है कि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि का अशिक्षित व्यक्ति है, यह उसका प्रथम अपराध है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जायें। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने से अस्वीकार किये गये और आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा को धारा 457 भा.द.सं के अपराध के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 380 भा.द.सं. के अपराध के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में प्रत्येक अर्थदण्ड के एवज में 10-10 दिवस का सश्रम कारावास मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक से भुगताये जाये।

28. आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा को दी गई कारावास के दोनों दण्ड साथ-साथ भुगताये जावेंगे।

29. आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया। आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा को अभिरक्षा में लेकर कारावास का दण्ड भुगतने के लिए सजा वारंट के माध्यम से उपजेल गोहद भेजा जाये।

30. आरोपी ब्रजभान उर्फ घोड़ा द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

31. प्रकरण में अभी आरोपीगण गुड्डेश, जोगिन्दर सिंह एवं जीते उर्फ जितेन्द्र के संबंध में विचारण एवं निर्णय अभी शेष हैं, इसलिए प्रकरण में जल्दशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद